राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(8)गृह–1/2018 जयपुर, दिनांक :25.03.2021

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **कनिष्ठ वेतन श्रृखंला की** निम्नांकित वर्षो की पूर्व में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं के आधार पर जारी पदोन्नति आदेशो मे निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है

वर्ष 2015–2016

श्री नारायण लाल तिवाड़ी पुत्र श्री घनश्याम शर्मा (सामान्य) द्वारा महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज के दण्डादेश क्रमांक 183–86 व 187–90 दिनांक 30.01.2009 के विरूद्व मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1983/2016 व एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1989/2016 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.08.2019 द्वारा दोनो दण्डादेशो को अपास्त कर पूर्व के समस्त आर्थिक व पदोन्नति लाभ देने के निर्देशो की पालना स्वरूप वर्ष 2015–16 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री अमीलाल (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2015–16 में श्री चन्द्र प्रकाश पारीक पुत्र श्री राधेश्याम (सामान्य) के पूर्व में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाता है।

वर्ष 2016–2017

श्री नारायण लाल तिवाडी पुत्र श्री घनश्याम शर्मा (सामान्य) के वर्ष 2016–17 में पदोन्नति आदेश निरस्त करते हुए श्री चन्द्र प्रकाश पारीक पुत्र श्री राधेश्याम (सामान्य) को वर्ष 2016–2017 में पदोन्नत किया जाता है। श्री पारीक की वरिष्ठता श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह (सामान्य) के नीचे व सुश्री वीणा शास्त्री पुत्री श्री वी0के0 मूर्ती (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017–18

श्री रामानन्द शर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द (सामान्य) के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 31–01–2020 द्वारा निरस्त किये जाने तथा गृह (ग्रुप–11) विभाग के आदेश दिनाक 22–08–2019 द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक वेतन वृद्वि बिना भावी प्रभाव के अवरूद्व करने के दण्डादेश को अपास्त करने के कारण श्री रामानन्द शर्मा, पुलिस निरीक्षक को वर्ष 2017–18 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री विजय कुमार सिंह पुत्र श्री यतेन्द्रपाल सिंह (सामान्य) के नीचे निर्धारित की जाती है।

श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मोडूराम (एसटी) के विरूद्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सतर्कता) राजस्थान जयपुर के आदेश दिनाक 21–07–2016 द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक वेतन वृद्वि बिना भविष्य प्रभाव से अवरूद्व करने के दण्डादेश को गृह (ग्रुप–11) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 20–12–2019 द्वारा अपास्त किये जाने के फलस्वरूप श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मोडूराम (एसटी) को वर्ष 2017–2018 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री पवन कुमार पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह (सामान्य) के नीचे व श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री दलपत सिंह (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री मदन लाल मीणा पुत्र श्री रामरतन (एसटी) के विरूद्व महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा के दण्डादेश दिनांक 17–02–2012 व पुनः रिमाण्ड आदेश दिनांक 20–11–2015 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा उनके आदेश दिनांक 08–03–2018 द्वारा अपास्त किये जाने के फलस्वरूप श्री मदनलाल मीणा पुत्र श्री रामरतन (एसटी) को वर्ष 2017–2018 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री बलवीर सिह पुत्र श्री दलपत सिंह (एसटी) के नीचे व श्री कमल प्रसाद मीणा पुत्र श्री श्रीनारायण मीणा (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2017–18 में सर्वश्री चन्द्र पुरोहित पुत्र श्री शुभकरण (सामान्य), सत्यप्रकाश पुत्र श्री हरिराम (एसटी) एवं हरिराम पुत्र श्री राम नारायण (एसटी) के पूर्व में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

D:\JHALA2020\DPC 2020-21\Promotion Order

Scanned with CamScanner

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
जावक संख्या 1134
दिनांक 26/3/21

वर्ष 2018–19

वर्ष 2018–19 में सर्वश्री चन्द पुरोहित पुत्र श्री शुभकरण (सामान्य), हरिराम पुत्र श्री राम नारायण (एसटी) एव श्री प्रदीप कुमार गोयल पुत्र श्री किशन लाल (एससी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता क्रमशः कालूराम वर्मा पुत्र श्री बादूराम (एससी) के नीचे, श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर (एसटी) के नीचे व श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री हरिराम (एसटी) के ऊपर तथा शंकर लाल पुत्र श्री अगराराम (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है। वर्ष 2018–19 में सर्वश्री सुनील प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सिद्धेश्वर सिह (सामान्य), कन्हैया लाल मीणा पुत्र मोडूराम मीणा (एसटी), मदनलाल मीणा पुत्र श्री रामरतन (एसटी) तथा दरजाराम पुत्र श्री भूराराम (एससी) के पूर्व में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

वर्ष 2019–20

वर्ष 2019–20 में सर्वश्री सुनील प्रसाद शर्मा पुत्र श्री सिद्धेश्वर (सामान्य), दरजाराम पुत्र भूराराम (एससी) एवं राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र काडूराम (एसटी) को पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता क्रमशः श्री भंवर लाल पुत्र श्री केसरा राम (सामान्य) के नीचे व मदन सिंह चौहान पुत्र श्री हरि सिह चौहान (सामान्य) के ऊपर, श्री विजय सहेरा पुत्र श्री प्रभूराम (एसटी) के नीचे व श्री विश्वास अटल पुत्र श्री बनवारी लाल (एससी) के ऊपर तथा श्री दीपक कुमार पुत्र श्री दुर्गालाल (एसटी) के नाम के नीचे निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2019–2020 में सर्वश्री रामानन्द शर्मा पुत्र नेमी चन्द शर्मा (सामान्य), प्रदीप कुमार गोयल पुत्र किशन लाल (एससी) तथा घनश्याम पुत्र प्यारेलाल (एसटी) के पूर्व में किये गये पदोन्नति आदेश निरस्त किये जाते है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

25/03/2021
(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamScanner